न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 03/2023

प्रकरण दर्ज तिथि :— 04.04.2023

जीसीएमएस नम्बर :— 2023/121

शैतान नायक पुत्र श्री रणजीतमल, उम्र—वयस्क, जाति नायक निवासी बिराटिया कलां तहसील रायपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राज. सरकार बजरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय रायपुर

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : 1. श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 अप्रार्थीगण सरकारी पैराकार

—: निर्णय :— दिनांक : 09.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा झीतडा पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भु. अभि. निरि. बर तहसील रायपुर के खाता सं. 20 खसरा नं. 1814 रक्बा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नं. 1821 रक्बा 2.4119 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नं. 1822 रक्बा 0.6718 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, भुमि आई हुई हे एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज रेकर्ड है। जिनकी जमाबंदी संवत 2075—2078 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति तथा नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त प्रार्थना पत्र मे उक्त भुमि को विवादित भुमि कहा जायेगा। प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि खसरा नं. 1821 मे बिना किसी रोक टोक के अप्रार्थी की खातेदारी भुमि खसरा सं. 1813/2 मे आवागमन कर रहे है। उक्त खसरा सं. मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी मुख्य रास्ते खसरा नं. 1813/1 से विवादित भुमि मे बिना रोक—टोक के नजरी नक्शे अनुसार अपने खेत मे आया जाया करते थे। प्रार्थी के कृषि के सम्बन्ध के साधन भी आ जा रहे थे। जो प्रार्थी लम्बे समय से एवं पुर्वजो के समय से आवागमन हेतु रास्ता उपभोग उपयोग करते थे जहा पर अप्रार्थी ने अपना हक अधिकार नहीं जमाया ना ही वहा खेती की थी। जिस कारण लम्बे समय वक्त सेटलमेन्ट से ही वहॉ कच्चा रास्ता मौके पर बना हुआ है एंव वहा पर सेटलमेन्ट से कदिमी रास्ता चला आ रहा है। प्राथी अपनी भुमि को कृषि कार्य करने आवागमन करने से बैक ऋण इत्यादि नही मिल पा रहे है प्रार्थी को आवागमन करने मे भी भारी समस्या का सामना पडता है क्योकि राज्य सरकार की भुमि बीच मे आने से कोई भी व्यक्ति कब्जा कर सकता है इसलिए ऋण लेने हेतु बैंक जाने एवं बैक के अधिकारीगण एवं वहा के कर्मचारी ने बताया कि आपकी भुमि एवं मुख्य सडक कि भुमि के मध्य खसरा सं. 1813/2 की भुमि राज्यसरकार की भुमि आ रही है इसलिए या ता इसमे रास्ता करवाये या आवेदन पत्र वापस ले ले इसलिए प्रार्थी की भुमि मे आने जाने का रेकडेर्ड रास्ता नही होने से प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी अपनी भुमि का सम्परिवर्तन करवाने हेतु भारी समस्या का सामना करना पड सकता है जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि खसरा सं. 1821 मे आने जाने हेतु राज्य सरकार की खातेदारी भुमि ग्राम झीतडा के खसरा नं. 1813/2 मे से 30 फुट चोडा एवं मुख्य रास्ते से अपने खेत मे जाने तक लम्बा भुमि रास्ते मे उपयोग उपभोग की आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त भुमि को राजस्व रेकर्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते हैं जिसके प्रार्थी को भविष्य मे कभी परेशानी का सामना नही क़रना पडे। प्रार्थीगण राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 251 'A ' के अनुसार नया रेकर्डेड रास्ता मॉगा जा रहा है एवं रास्ते मे दर्ज होकर सिवाय चक किस्म बारानी अव्ल से गै. मु. रास्ता करवाने हेत प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। गै. मु. रास्ते मे दर्ज होने वाली भुमि का प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को नियमानुसार जमा योग्य शुल्क का भुगतान करने को तैयार है। जिससे उनको उनकी भुमि सार्वजनिक रास्ते होने से भुमि का नुकसान की भरपाई का मुआवजा मिल सके तथा प्रार्थी को भाविष्य मे होने वाली समस्या का सामना नहीं करना पडे। प्रार्थी, अप्रार्थी व अन्य खातेदार उक्त सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा हक अधिकार नही जतायेगें। रेकडेर्ड रास्ते से प्रार्थी की भुमि मे आवागमन हेतु सबसे नजदीकी खसरा सं. 1813/2 मे से होकर करना होता है। जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि पर आने जाने हेतु सलग्न नजरी नक्शे अनुसार अप्रार्थी की भुमि मे से रेकडेर्ड रास्ता मांगा है। प्रार्थी अपनी भुमि पर आवागमन हेतु उक्त भुमि मौके पर रास्ते के उपैयोग मे काम आयेगी। उक्त रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। उपरोक्त तमाम परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उसके पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रमाणित है, विधि अनुरूप है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के ही पक्ष में है।

गुलाब सिंह
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

मौजूदा प्रार्थना पत्र में नियत न्यायशुल्क अदा किया जा रहा है। मौजूदा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का श्रवण क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा झीतडा पटवार हल्का बिराटिया खुर्द मु. अमि. निरि. बर तहसील रायपुर के खाता सं. 20 खसरा नं. 1814 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नं. 1821 रकबा 2.4119 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नं. 1822 रकबा 0.6718 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खातेदारी भुमि आई हुई हे एवं राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि मे आने जाने हेतु मुख्य रास्ते से अप्रार्थी की खातेदारी भुमि ग्राम झीतडा के खसरा सं. 1813/2 मे नजरी नक्शे अनुसार व मौके पर बने कदिमि रास्ते अनुसार अपने खेत मे आते जाते है परन्तु राजस्व रेकर्डेर्ड मे रास्ता नही होने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी मे आने जाने हेतु भारी समस्या का सामना करना पड रहा है जिस कारण प्रार्थीगण को अन्य खातेदार की जोत मे से होकर नया मार्ग खोलना या बिद्यमान मार्ग का विस्तार करना (अधिनियम स. 1 आफ 2012 द्वारा जोडा गया एवं दिनाक 18 जनवरी 2012 से लागु किया गया) सुखाधिकार अधिनियम के तहत विवादित भुमि ग्राम झीतडा के खसरा सं. 1813/2 मे से मुख्य सडक के खसरा नं. 1813/1 से आने जाने हेतु 30 फुट चोडा एवं प्रार्थी की भुमि तक पहूचे जितना फुट लम्बा भुमि को अप्रार्थी के खसरा नं. 1813/2 कुषि भुमि कि किस्म गै. मु. पहाड से किस्म गै. मु. रास्ता के रूप मे घोषित करवाने का आदेश दिरावे। प्रार्थी सार्वजनिक रास्ते मे अवाप्त होने वाली भुमि का राजस्थान सरकार द्वारा तय मुआवजा देने को तैयार है। आदेश की तहरीर तहसीलदार रायपुर का पालना हेतु भिजवाई जावे। श्रीमान द्वारा पारित आदेशानुसार गै. मु. रास्ता सार्वजनिक रहेगा। उक्त भुमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप मे दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय मे पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण के की ओर से तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार रायपुर से मौका जांच रिपोर्ट एंव प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होने या नही होने बाबत, सबसे नजदीकी रास्ते बाबत् प्रतिवेदन प्रेषित करने एंव रास्ता प्रदत करने हेतु प्रतिवेदन तहसीलदार रायपुर से उनके प्रतिवेदन दिनांक 04.07.2023 को प्राप्त किया गया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में राजस्व रेकर्ड मे वादी के नाम से मौजा झीतडा के खसरा नम्बर 1821 रकबा 2.419 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1822 रकबा 0.6718 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1814 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी में दर्ज हैं। उपरोक्त खसरान में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नही हैं तथा उपरोक्त खसरान के पश्चिम दिशा में झाला की चौकी से झीतडा जाने वाला मार्ग हैं। मार्ग व वादी की भूमि के मध्य मौजा झीतडा का खसरा नम्बर 1813/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म गै मु पहाड स्थित हैं। जिसमें से होकर वादी अपनी खातेदारी भूमि में जाने का रास्ता बनाया हुआ हैं। वादी द्वारा उपरोक्त चलित रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाना चाहता हैं। जिसका नजरी नक्शा में दर्शाया हैं के अनुरूप नियमानुसार रास्ता दिये जाने की अनुशंषा की हैं। उपरोक्त नजरी नक्शा में डॉटेड लाल लाईन में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता हैं जो वादी की खातेदारी भूमि मे जाने का एकमात्र मार्ग हैं तथा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तावित मार्ग गै मु रास्ता खसरा नम्बर 1813/1 से निकटतम एवं लघुतम मार्ग हैं तथा प्रस्तावित रास्ता की लम्बाई 94 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर यानि 0.0860 हैक्टेयर रकबा हैं। उक्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि तहसीलदार रायपुर के द्वारा रास्ते मे दर्ज होने वाली भूमि की गणना राशि नियमानुसार जमा करवाने हेतु सहमत हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दिलाया जावे एव हम नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु सहमत है।

हमने पत्रावली एंव संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। बहस, मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1821, 1822 एवं 1814 में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं। इसीलिए प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 1813/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म गै मु पहाड में से रास्ता की लम्बाई 94 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर यानि 0.0860 हैक्टेयर रकबा रास्ता दिये जाने की अनुंशषा की है। उक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित हैं। अतः रास्ते की गणना, तहसीलदार रायपुर तहसील राजस्व लेखाकार से करवाकर अप्रार्थीगण को भुगतान करें। नियमानुसार गणना राशि

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (बांसवाड़ा)

तहसीलदार रायपुर को जमा करवाने के बाद सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु मौका रिपोर्ट पर दर्ज नजरी नक्शा अनुसार गै. मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 1821, 1822 एवं 1814 में आने जाने हेतु सरहद मौजा झीतडा के खसरा नम्बर 1813/2 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म गै मु पहाड में से रास्ता की लम्बाई 94 मीटर व चौडाई 9.14 मीटर यानि 0.0860 हैक्टेयर रकबा बनता हैं, उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की खातेदारी हैं। अतः इसका रकबा ,अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक सिवाय चक गै. मुमकित रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के नजरी नक्शा अनुसार रास्ते की भूमि के खसरा नम्बर 1813/2 किस्म गै मु पहाड से गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर को साथ यह भी निर्देश दिये जाते है कि उक्त दिया जाने वाली राशी का राजस्थान सरकार द्वारा तयशुदा नियमानुसार राशि प्रार्थी से प्राप्त करें एवं राशि प्राप्ति करने के बाद ही उक्त आदेश का अंकन राजस्व रेकर्ड मे किया जावे। उक्त राशि को प्रभावित अप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान करें। संबंधित अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ होगा अर्थात रास्ता आसपास के कृषको एंव राहगीरों के द्वारा उपयोग किया जा सकेगा। इस रास्ते के उपयोग हेतु किसी प्रकार से बाधित/अवरूद्ध नही किया जा सकेगा। उक्त रास्ते पर किसी भी प्रार्थीगण द्वारा हक अधिकार नहीं जताया जायेगा। तहसीलदार रायपुर के प्रतिवेदन के संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)